प्रेसनोट- मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक 31.10.2025

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस का सफलतम प्रयास

धारा 376एबी/302/201/307 भादवि व 5/6 पॉक्सो अधिनियम के 01 आरोपी को मृत्यु दण्ड एवं कुल 01 लाख 37 हजार 500/- रु0 अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कडी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाये जा रहें ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस महानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री प्रियांक जैन, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल व थाना कॉंट पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय एएसजे 42 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त थाना कांट में आरोपी अनिल उर्फ चमेली पुत्र सोनेलाल निवासी ग्राम भानपुर थाना कॉंट जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी की 05 वर्ष की नाबालिग पोती के साथ बलात्कार कर हत्या कर देने तथा लाश सरसों के खेत में फेंक देने तथा दूसरी पोती उम्र करीब 07 वर्ष को घायल कर मरणासन्न अवस्था में गन्ने के खेत में छोड देने के आरोप में मृत्यु दण्ड एवं 137500/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरण:-

अनिल उर्फ चमेली पुत्र सोनेलाल निवासी ग्राम भानपुर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर।

घटना व सजा का विवरण:-

मु0अ0सं0 114/2021 धारा 376एबी/302/201/307 भादवि 5/6 पॉक्सो अधिनियम थाना कॉंट जनपद शाहजहाँपुर में आरोपी अनिल उर्फ चमेली पुत्र सोनेलाल निवासी ग्राम भानपुर थाना कांट जनपद शाहजहांपुर द्वारा वादी की 05 वर्ष की नाबालिग पोती के साथ बलात्कार कर हत्या कर देने तथा लाश सरसो के खेत में फेंक देने तथा दूसरी पोती उम्र करीब 07 वर्ष को घायल कर मरणासन्न अवस्था में गन्ने के खेत में छोड देने के आरोप में मृत्यु दण्ड एवं 137500/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।